

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

**अधिसूचना**

सं०-०६A / न०वि० / Master Plan (लोहरदगा)–५५/२०१७..... ४५८५ – दृ०-१८/०८/१२

झारखण्ड राज्य में प्रभावी झारखण्ड नगर निवेशन एवं उन्नयन न्यास अधिनियम–2002 (अंगीकृत) (अधिसूचना संख्या–७५५, दिनांक–२१.०३.२००२) की धारा कंडिका–३३ में मास्टर प्लान तैयार कराने की शक्तियाँ निहित है। अतएव झारखण्ड नगर निवेशन एवं उन्नयन न्यास अधिनियम–2002 (अंगीकृत) के अधीन गठित नियमावली के अन्तर्गत प्रावधानित प्रक्रिया को अपनाते हुए लोहरदगा नगर परिषद् का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई की गई है।

2. उपरोक्त झारखण्ड नगर निवेशन एवं उन्नयन न्यास अधिनियम–2002 (अंगीकृत) की कंडिका–३३ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल, विभिन्न मानचित्रों एवं निम्नांकित शर्तों के साथ लोहरदगा मास्टर प्लान (GIS Based)–२०४० पर स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

- 2.1 राज्य सरकार यदि किसी खास प्रयोजन/संस्थान अथवा केन्द्र सरकार के संस्थान इत्यादि के लिए जमीन अधिग्रहित करती है तो उस स्थान विशेष का Land Use, स्थापित किए जाने वाले संस्थान/प्रयोजन के अनुरूप समझा जायेगा।
- 2.2 प्रस्तावित मास्टर प्लान लागू करने में किसी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति आने पर, संबंधित कठिनाईयों के निवारण के लिए, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–२००५ (National Building Code of India-NBC, 2005)/Urban and Regional Development Plans Formulation & Implementation Guidelines (URDPFI)-२०१५ के प्रावधानों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- 2.3 केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालय तथा उसके अन्य संबद्ध कार्यालयों से जारी परिपत्र/दिशा–निर्देश आदि समय–समय पर विहित विधिपूर्वक समीक्षा के उपरान्त कार्रवाई करते हुए लागू किए जा सकेंगे।
- 2.4 समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने के क्रम में उपयोग की जाने वाली भूमि की योजना की आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तावित उपयोग (Use), इस मास्टर प्लान के भूमि उपयोग (Land Use) से प्रतिकूल होने की स्थिति में, परिवर्तित करने का अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग का होगा।
- 2.5 मास्टर प्लान में सङ्कों की प्रस्तावित चौड़ाई Passive Development के आधार पर प्राप्त की जाएगी। वर्तमान की सङ्क को प्रस्तावित सङ्क की चौड़ाई करने के लिए आवश्यक भू–पट्टी संबंधित सङ्क के दोनों ओर के भू–स्वामियों से बराबर भाग के भू–पट्टी के रूप में ली जाएगी। सङ्क चौड़ीकरण के लिए ली गई भू–पट्टी पर देय Floor Area Ratio (FAR) प्रभावित भूखंडधारी को Transfer of Development Rights (TDR) के रूप में अथवा प्रभावित भू–खंड के शेष भाग पर FAR के रूप में देय होगी।

प्रस्तावित सङ्कों के चौड़ीकरण के क्रम में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के उपरान्त विस्थापित किया जा सकेगा।

- AS 85  
18/07/19*
- 2.6 Group Housing Scheme के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) तथा अल्प आय वर्ग (LIG) के लिए निर्मित किए जाने वाले भवन झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 एवं यथा संशोधित के अनुसार निर्मित किए जायेंगे।
- 2.7 मास्टर प्लान के प्रावधान को मूर्ति रूप देने के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम—2011 की कंडिका—441 (5) में प्रावधानित यथासंभव Transfer of Development Right (TDR) एवं संबंधित नियमावली Tools का प्रयोग किया जायेगा।

नगर निकाय मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के क्रम में आवश्यक जन सुविधाएं एवं विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ, भू-अर्जन अधिनियम (Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के सुसंगत प्रावधानों के अलोक में की जाएगी अथवा विभागीय संकल्प संख्या—3993, दि०—22.07.16 में भूमि क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

- 2.8 मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा—पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग एवं पेयजल एवं र्खच्छता विभाग, इत्यादि के द्वारा आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाएगी।
3. GIS Based मास्टर प्लान के मुख्य तथ्य निम्नांकित हैं :—

- 3.1 GIS Based मास्टर प्लान आगामी 25 वर्ष (2015–2040) के लिए अनुमानित जनसंख्या (Projected Population) 2,05,806 की विभिन्न आवश्यकताओं के महेनजर 74.88 वर्गोंकि८० क्षेत्रफल के दायरे में तैयार किया गया है जिसमें शहर का 22.86 वर्गोंकि८० क्षेत्र समिलित है। इस प्रकार मास्टर प्लान के प्लानिंग एरिया में लोहरदगा नगर परिषद् के सभी 22 वार्ड एवं आसपास के 14 गांवों को समिलित किया गया है।
- 3.2 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार लोहरदगा नगर परिषद् की जनसंख्या—57,411 नगर परिषद् समिलित किए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या—32,377 है। इस प्रकार पूरे प्लानिंग एरिया की जनसंख्या 89,788 है।

प्लानिंग एरिया के लिए क्षितिज वर्ष (Horizon Year)—2040 की अनुमानित जनसंख्या—2,05,806 है जो जनसंख्या पूर्वानुमान हेतु स्थापित विभिन्न मापदण्डों के आधार पर है।

- 3.3 प्लानिंग एरिया का वर्तमान भूमि उपयोग निम्नांकित तालिका—1 में अंकित है :—

**तालिका-1 : प्लानिंग एरिया वर्तमान भूमि उपयोग तालिका-2015-16**

सं०	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	प्लानिंग एरिया का प्रतिशत	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
		वर्ग किमी०	हेक्टेयर	%	%
<b>A विकसित क्षेत्र</b>					
1	आवासीय*	5.84	584.44	7.80	67.73
2	वाणिज्यिक	0.12	11.94	0.16	1.38
3	उद्योग	0.96	95.73	1.28	11.09
4	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक	0.64	63.77	0.85	7.39
5	परिवहन और संचार	1.01	101.38	1.35	11.75
6	मनोरंजन हेतु खुली जगह (Recreational open area)	0.06	5.59	0.07	0.65
	<b>उप-कुल A</b>	<b>8.63</b>	<b>862.85</b>	<b>11.52</b>	<b>100.00</b>
<b>B अविकसित क्षेत्र</b>					
7	प्राथमिक गतिविधि*	63.33	6333.06	84.58	
8	जल क्षेत्र (Water Body)	2.92	292.17	3.90	
	<b>उप-कुल B</b>	<b>66.2523</b>	<b>6625.23</b>	<b>88.48</b>	
	<b>कुल A+B</b>	<b>74.88</b>	<b>7488</b>	<b>100.0</b>	

\* Note:

- प्लानिंग एरिया के आवासीय क्षेत्र (Residential area) में नगर पंचायत के आवासीय क्षेत्र, मिश्रित आवासीय क्षेत्र (Mixed residential use) और ग्रामीण आवासीय क्षेत्र (Rural residential settlement) शामिल हैं।
- प्राथमिक गतिविधि (Primary activity) में कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, नरसी बागान, खटाल, बंजर व अनुत्पादक भूमि, खान-खदान, इट भट्ठा, आरक्षित वन और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।

**तालिका-2 : मुख्य आधारभूत प्रस्ताव और चिन्हित क्षेत्र**

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	स्थान
1	औद्योगिक क्षेत्र	1094.73	गाँव मनहो, भासको, कैमो और बर्मदिहा
2	शिक्षा एवं अनुसंधान	30	गाँव बर्मदिहा और वाईना
3	स्टेडियम	58.03	गाँव कुटमू
4	रिवर फ्रं� डेवलपमेंट (River Front Development)	205.61	गाँव झुरिया

**तालिका-3 : प्रस्तावित प्लानिंग एरिया में प्रस्तावित भूमि उपयोग तालिका-2040**


सं०	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	प्लानिंग एरिया का प्रतिशत	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
		वर्ग किमी०	हेक्टेयर	%	%
<b>A विकसित क्षेत्र</b>					
1	आवासीय *	42	4199.3	56.08	63.44
2	वाणिज्यिक	3.90	389.44	5.21	5.89
3	उद्योग	9.77	976.74	13.04	14.76
4	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक	0.94	93.77	1.25	1.42
5	परिवहन और संचार	2.78	277.64	3.71	4.19
6	मनोरंजन हेतु खुली जगह (Recreational open area)	6.82	682.24	9.11	10.31
	<b>उप-कुल A</b>	<b>66.21</b>	<b>6691.63</b>	<b>88.40</b>	<b>100</b>
<b>B अविकसित क्षेत्र</b>					
7	प्राथमिक गतिविधि*	5.76	576.2	7.69	
8	जल क्षेत्र खुली जगह (Water Body)	2.92	292.17	3.90	
	<b>उप-कुल B</b>	<b>8.68</b>	<b>868.37</b>	<b>13.09</b>	
	<b>कुल A+B</b>	<b>74.88</b>	<b>7488</b>	<b>100</b>	

\* Note:

- I. प्लानिंग एरिया के आवासीय क्षेत्र (Residential area) में नगर पंचायत के आवासीय क्षेत्र, मिश्रित आवासीय क्षेत्र (Mixed residential use) और ग्रामीण आवासीय क्षेत्र (Rural residential settlement) शामिल हैं।
  - II. प्राथमिक गतिविधि (Primary activity) में कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, नसरी बागान, खटाल, बंजर व अनुत्पादक भूमि, खान-खदान, ईंट भट्ठा, आरक्षित वन और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।
- 3.4 सड़क और परिवहन : क्षेत्रीय सड़कों के अलावा वर्तमान सड़कों का Carriage Way 2 से 5 मीटर तक उपलब्ध है, जबकि प्रस्तावित सड़क नेटवर्क का Right of Way (RoW) पदानुक्रम में 60 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर और 24 मीटर की चौड़ी सड़कों शामिल हैं। मास्टर प्लान में एक प्रमुख सड़क को रिंग रोड के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो 60 मीटर चौड़ाई (20.94 किमी 0 लम्बाई) की है।
- 3.5 हाउसिंग और शैल्टर : वर्ष 2040 तक Economically Weaker Section (EWS) आवास में 16,007 और Low Income Group (LIG) आवास में 9,147 इकाइयों की आवश्यकता होगी जिसके लिए कुल 50.77 हेक्टेयर भूमि योजना क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में शामिल है।
- 3.6 EWS और LIG आवास योजनाओं के अन्तर्गत भूमि विकास एवं FAR के लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 427 (5) के प्रावधान के अनुसार तथा Transfer of Development Rights (TDR) के हस्तांतरण के लिए धारा 441 (5) के तहत विकास किया जा सकता है। EWS या LIG आवास के लिए भूमि के डेवलपर को अतिरिक्त FAR दी जाएगी।
- झारखंड भवन उपविधि, 2016 एवं यथा संशोधित के अनुसार प्रस्तावित मास्टर प्लान के प्लानिंग एरिया में आवासीय के लिए अधिकतम फ्लोर एरिया (FAR) 2.0 है। वाणिज्यिक विकास के लिए 2.0 तथा फ्लैटेड उद्योग समूह के लिए 1.5, लघु सर्विस उद्योग के लिए 1.25, मध्यम एवं बड़े उद्योग के लिए FAR 1.0 का प्रावधान है।
4. मास्टर प्लान में किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा।


यदि उपरोक्त शर्तों के कार्यान्वयन के क्रम में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग समाधान प्रस्ताव उपरथापित करेगा, जिसे माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर संशोधित किया जा सकेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

  
(अरुण कुमार सिंह),


सरकार के प्रधान सचिव।

प्रापांक-06A / नोविंग / Master Plan (लोहरदगा)-55 / 2015..... राँची, दिनांक- 18/07/17  
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, मुख्यालय (राँची)-सह-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास विभाग को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक-06A/न०वि०/Master Plan (लोहरदगा)-55/2015..... राँची, दिनांक—1585 /18/07/17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/उपायुक्त, लोहरदगा/कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा नगर परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव

.....

